

पत्र संख्या : 7वि.शा./विवध0-14-08/2020.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई-मेल

राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि0)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक:

विषय :- चालू वित्तीय वर्ष में किये जा रहे आवंटन अधियाचना के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष में योजनाओं के लिए किये जा रहे आवंटन अधियाचना के साथ संलग्न विहित प्रपत्र के अनुसार प्रमाण पत्र (सभी सूचनायें अंकित करते हुए) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

माह मार्च, 2020 में की गयी अधियाचना, जिसके क्रम में आवंटन निर्गत नहीं किया जा सका है, उसके संदर्भ में भी वर्णित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ताकि आवंटन ससमय निर्गत किया जा सके।

ज्ञातव्य हो कि बिना प्रमाण-पत्र के आवंटन निर्गत नहीं किया जाएगा।

अनु.-यथोक्त।

ह0/-


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

ज्ञापांक :- 2209

राँची, दिनांक :- 19/03/2020

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को अनु0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।


19/03/2020

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. (योजना का नाम/संलग्न सूची में अंकित योजनाओं) में इस प्रमण्डल को पूर्व में कुल राशि का आवंटन प्राप्त है।
2. उक्त प्राप्त आवंटन में से कराये गये कार्य के विरुद्ध माप पुस्त में अंकित मापी के आधार पर रू. राशि का अद्यतन भुगतान किया गया है, तथा रू. राशि शेष है।
3. माप पुस्त में अंकित मापी के आधार पर रू. राशि का कार्य कराया गया है, जिसके भुगतान हेतु अधियाचना की गयी है।
4. अधियाचित अतिरिक्त राशि एवं पूर्व में निर्गत आवंटन के विरुद्ध व्यय के उपरांत बची हुई राशि का व्यय मार्च, 2020 तक कर लिया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता